

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 827 / 2015 / जयपुर.

मैसर्स चिराग एन्टरप्राइजेज,

जी-14, शुभम अपार्टमेंट, विद्याधर नगर, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर.
2. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, वार्ड-तृतीय, जोन-प्रथम, जयपुर.

.....प्रत्यर्थीगण.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी. बी. अग्रवाल, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,

उप-राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08 / 07 / 2015

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र दिनांक 04.03.2015 में पारित किये गये आदेश क्रमांक प.1(195)उपा-1/वैट/ धारा-34/2014-15 में पारित किये गये आदेश दिनांक 12.03.2015 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने अपील के साथ वेट अधिनियम की धारा 83(7) के तहत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में वसूली योग्य मांग राशि रुपये 3,14,183/- की वसूली कार्यवाही को स्थगित किये जाने हेतु भी निवेदन किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, तृतीय, प्रतिकरापवंचन, जोन-प्रथम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2013-14 का कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत धारा 25, 55, 61 दिनांक 29.01.2015 को एकपक्षीय पारित पारित करते हुए कुल रुपये 3,14,183/- की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत दिनांक 04.03.2015 को प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र प्रशासनिक अधिकारी के आदेश दिनांक 12.03.2015 से इस आधार



लगातार.....2

पर निरस्त किया गया कि बावजूद सूचना अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत है। प्रशासनिक अधिकारी के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई सम्मन अपीलार्थी पर तामील नहीं कराया गया एवं नोटिस तामील करवाये बिना ही अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलार्थी के विरुद्ध मांग सृजित की गयी है। अतः पारित किया गया एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित हैं। प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में भी विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के अपील संख्या 826/2015/जयपुर मैसर्स जय अम्बे ट्रेडर्स, जयपुर बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवचन घट-तृतीय, जोन-प्रथम, जयपुर व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2015 का हवाला देते हुए अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने हेतु निवेदन किया।

4. बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश व प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

6. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सृजित मांग राशि के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम की धारा 34 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वेट अधिनियम के प्रावधानों के तहत जहां कोई कर निर्धारण वेट अधिनियम की धारा 22, धारा 24(2)(बी), धारा 24(3)(सी), धारा 24(4), धारा 25, धारा 26 अथवा धारा 27 के तहत एकपक्षीय आदेश पारित किये गये हों तो ऐसी स्थिति में व्यवहारी पुनः कर निर्धारण हेतु वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रार्थना-पत्र विवादित कर निर्धारण आदेश मय मांग प्रपत्र की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी को विहित शुल्क व प्रपत्र में आवेदन कर सकेगा।



7. इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 34 निम्न प्रकार है :-

34. Reopening of ex-parte assessment.-


(1) Where an assessment has been made ex-parte under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27, the Deputy Commissioner (Administration) may, on the application of the dealer made within thirty days of the date of service of the notice of demand in consequence of such assessment along with such fee as may be prescribed, by an order direct the assessing authority or the officer authorised by the Commissioner as the case may be, to cancel the assessment and proceed to make a fresh assessment in accordance with the provisions of law.

(2) Before issuing direction under sub-section (1), the Deputy Commissioner (Administration) should be satisfied that the applicant dealer did not receive notice or summons issued to him under sections 22 or clause (b) of sub-section (2) of section 24, clause (c) of sub-section (3) of section 24, sub-section (4) of section 24 or section 25 or section 26 or section 27 or that he was prevented by sufficient cause from complying with any notice or summons issued to him for assessment.

8. सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत व्यवहारी द्वारा पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को अस्वीकार अथवा स्वीकार कर, सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को तदनुरूप कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी निर्देश के प्रावधान हैं। अतः अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना-पत्र चलने योग्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है, तथा न्यायहित में प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर, आलौच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित करें।

9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2015 एवं कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 29.01.2015 अपास्त किये जाते हैं तथा प्रकरण उपरोक्त निर्देशानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

10. निर्णय सुनाया गया।



(मनोहर पुरी)
सदस्य